संख्या-273 / नौ-8-2009-48(1)/94

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 05 जनवरी, 2009

विषय- नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा ग्राम समाज की निहित सम्पत्तियों का अनुरक्षण, आवंटन एवं निस्तारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकानाहक योजना के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-172/ 8-3-2008-65विविध/09, दिनांक 15.01.09 तथा शासनादेश संख्या-259/ 8-3-2009- 65विविध/09, दिनांक 19 जनवरी, 2009 के द्वारा उपर्युक्त संदर्भित योजना को कियान्वित करने के लिये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्थानीय निकायों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के विनियमितीकरण के संबंध में शासनादेश संख्या-465/ 9-8-2001-48 (1)/94, दिनांक 24 फरवरी, 2001 तथा शासनादेश संख्या-135/9-7-2001-2ज /2001, दिनांक 26 फरवरी, 2001 नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2- उपर्युक्त दोनों शासनादेशों के प्रस्तर-5 में अनधिकृत कब्जों के कतिपय शर्तो के अधीन विनियमितीकरण की व्यवस्था की गयी है, परन्तु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपरोक्त संदर्भित दोनों शासनादेश दिनांक 15.01.09 एवं 19.01.09 के कियान्वयन के लिये नगर विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 24.02.2001 एवं 26.02.2001 के प्रस्तर-5 में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। अतः नगर विकास विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.02.2001 एवं दिनांक 26.02.2001 के प्रस्तर-5 को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

प्रस्तर-5	संशोधन
(1) वार्षिक सर्वेक्षण में पाये गये अनधिकृत कब्जो का परीक्षण गम्भीरतापूर्वक किया जायेगा। जहां पर कुछ वर्षो से पक्के मकान अथवा गोदान बना लिये गये हों, उन्हें गिरवाने में व्यवहारिक कठिनाईयां होने पर ऐसे कब्जों को प्रभावी बाजार मूल्य से अन्यून धनराशि लेकर पट्टे	मूल प्रस्तर-(1) एवं (2) का प्रतिस्थापित प्रस्तर- स्थानीय निकायों की भूमि पर यदि कोई स्लम बनी हुई है और उस पर अधिकांश रूप से गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो दिनांक 15.01.2009 से पूर्व के समस्त कब्जेदारों के कब्जों का विनियमितीकरण करते हुए पट्टों का आवंटन किया जा सकेगा। जैसा कि सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकानाहक योजना से संबंधित शासनादेश दिनांक 15.01. 2009 एवं शासनादेश दिनांक 19.01.2009 में उल्लिखित किया

94/12

जी ओ

द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।

(2) छप्पर अथवा कच्ची इमारत बनाकर किये गये कब्जो को हटा दिया जायेगा।

(3) खेती अथवा अन्य प्रयोजन के रूप में किये गये कब्जों को हटा दिया जायेगा।

(4) भूमिहीन खेतिहार, मजदूर अथवा छोटों कास्तकार होने की स्थिति में उसे भूमि के प्रबन्ध का अस्थायी पट्टा दिया जायेगा, किन्तु उसके पास अपनी मूल जोत को मिलाकर 3, 1/0 एकड से अधिक भूमि नहीं दी जा सकेगी।

(5) विनियमितीकरण के समय काबिज व्यक्ति से पिछले वर्षो के कब्जों के फलस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि वसूल की जायेगी।

(6) बेदखली उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृह आदि अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(7) जहां कहीं गांव सभा की चल अथवा अचल सम्पत्ति जैसे क्षतिपूर्ति प्रतिकर और लागत से प्राप्त धनराशि, पंचायत भवन, फर्नीचर आदि नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में कानून निहित हो चुकी हो, वहां नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा पंचायतराज अधिकारी की सहायता से इस सम्पत्ति को तलाश करके अपने अधीन की जायेगी।

गया है। इस प्रकार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.01.2009 एवं 19.01.2009 की शर्तो के अधीन स्थानीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) की भूमि पर पट्टे दिये जा सकेंगे।

(2) खेती एवं अन्य प्रयोजन के रूप में किये गये अनधिकृत कब्जे हटा दिये जायेंगे।

(3) भूमिहीन खेतिहार, मजदूर अथवा छोटों कास्तकार होने की स्थिति में उसे भूमि के प्रबन्ध का अस्थायी पट्टा दिया जायेगा, किन्तु उसके पास अपनी मूल जोत को मिलाकर 3, 1/0 एकड से अधिक भूमि नहीं दी जा सकेगी।

(4) विनियमितीकरण के समय काबिज व्यक्ति से पिछले वर्षो के कब्जों के फलस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि वसूल की जायेगी, परन्तु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.01.2009 एवं दिनांक 19.01.2009 के क्रियान्वयन के संबंध में यह प्राविधान लागू नहीं होगा।

(5) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15,01.2009 एवं दिनांक 19.01.2009 के अर्द्ध लाभार्थियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि किसी अन्य श्रेणी के कब्जेदारों की बेदखली आवश्यक हो, तो वह बेदखली अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(6) जहां कहीं गांव सभा की चल अथवा अचल सम्पत्ति जैसे क्षतिपूर्ति प्रतिकर और लागत से प्राप्त धनराशि, पंचायत भवन, फर्नीचर आदि नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में कानून निहित हो चुकी हो, वहां नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा पंचायतराज अधिकारी की सहायता से इस सम्पत्ति को तलाश करके अपने अधीन की जायेगी।

2- नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-465/9-8-2001-48(1)/94, दिनांक 24 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश संख्या-135/9-7-2001-2ज/2001, दिनांक 26 फरवरी, 2001 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

जी ओ